न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :–अनवर आदि बनाम हनुमान आदि

प्राथर्ना पत्र संख्या :– 62/2024

निर्णय दिनांक :–........13/05/25........

1. अनवर पुत्र सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. कलीमा पुत्री सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
3. खैरू निशा पुत्री सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
4. गुलाब नबी पुत्र सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मोहम्मद अली पुत्र सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
6. लियाकत अली पुत्र सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
7. सलीम पुत्र सफी जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी खंडवा तहसील चूरू जिला चूरू।
2. किसनलाल पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. मजीद पुत्र मोहम्मदा जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. आमीन पुत्र अब्दुल जाति कसाई निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री केदारमल स्वामी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री योगेश स्वामी व अजय कुमार अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि **कृषि भूमि खाता संख्या 494, खसरा नं. 970/246 तादादी 7.6376 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम भालेरी** तहसील तारानगर जिला चूरू का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। उक्त भूमि भालेरी की रोही में स्थित है उक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. **970/246** के पड़ौसियान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है। प्रार्थीगण अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करना चाहता है ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान नही कर सके। चारों तरफ से सींव कटने से सही तारवंदी नहीं हो सकती है। सींव के निशान नष्ट हो चुके है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषिभूमि की पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है ताकि अप्रार्थीगण के साथ शांति बनी रह सके तथा लड़ाई झगड़ा किसी पड़ौस के साथ न हो। पटवारी हल्का मौका पर गया लेकिन पड़ौसिंों ने एतराज किया।

Rajendra

इस कारण पैमाईश नहीं हो सकी। इस कारण न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एतराज नही होने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2025 को पेश किया है। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित उन्होंने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खेत **कृषि भूमि खाता संख्या 494, खसरा नं. 970/246 तादादी 7.6376 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम भालेरी** तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक **कृषि भूमि खाता संख्या 494, खसरा नं. 970/246 तादादी 7.6376 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम भालेरी** सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें एवं किसी भी काश्तकार को मौके से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं किया जावे। सीमाचिन्ह कार्यवाही हेतु प्रार्थी गठित दल का एक दिवस का वेतन राजकोष में जमा करावें।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13/05/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)